प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

धुडदास पुत्र मंछाजी जाति साद (वैष्णव) निवासी अणगोर तहसील व जिला सिरोही — राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रमोदकुमार दवें

2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत् ।

निर्णय दिनांक ||–12–2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही क वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 12–3–2020 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इ प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के गांव अणगो पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही मे खाता संख्या 56 की खसरा नंबर 455 रकबा 0.4900 हैक्टेयर भू आई हुई है। जिसका पुराना नंबर 236 भी था । प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 31 जरिये दिनांक 12–10–87 को धुडा वल्द मंछाराम के नाम से पुराना खसरा नंबर 236 मी. की 3 बीघा भू धुडा/मंछाराम साद के नाम से एलोट हुई थी जबकि प्रार्थी का नाम धुडदास पुत्र मंछाजी है और समस दस्तावेज भी धुडदास पुत्र मंछाजी के नाम के है। है। मारवाड मे आम बोल चाल मे धुडदास को धुडा कहक भी बुलाते थे और इसी आधार पर उक्त एलोटमेण्ट के वक्त धुडा वल्द मंछाराम दर्ज हो गया जिससे आ जमाबंदी मे धुडाराम पुत्र मंछाराम किर दिया जबकि साद (वैष्णव) जाति मे अपने नाम के पिछे राम नह लगाते है, दास लगाते है। जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवंश धुडदास को धुडाराम लिख गया है तथ उनके पिता मंछाजी की जगह मंछाराम कर दिया है जो नाम धुडदास पुत्र मंछाजी संशोधित किया जान आवश्यक है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड व बैंक खाते सभी मे नाम धुडदास पु मंछाजी है। जबकि राजस्व रेकड मे धुडाराम पुत्र मंछाराम चल रहा है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण जब प्राप्त हुआ जब प्रार्थी को कृषि भूमि का मुआवजा बैंक खात मे जमा नही होने पर हल्का पटवारी से मिला तो बताया गया कि आपका खाता धुडदास पुत्र मंछाजी का जबकि आपके रेकर्ड मे धुडाराम पुत्र मंछाराम चल रहा है जिससे नाम संशोधन करवाने पर ही आपके मुआव की राशि जमा होगी । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के नाम को रेकर्ड मे संशोधन कि जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावें । है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के संलग्न मौजा अणगोर पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही व जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 56 खसरा नंबर 455 रकबा 0.4900 हेक्टेयर जमाबंदी संव 2044 से 2047 खसरा नंबर 236 ,प्रार्थी का आधार कार्ड नंबर 895797587741 कोरपोरेशन बैंक सिरोही व पासबुक एकाउण्ट नंबर 153900101003664 भामाशाह कार्ड की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 12–3–2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रा स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । विचारण प्रकरण की इ न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–8–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस तामिल होक प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 1–12–2020 को अप्रार्थी स्टे तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु पैरोकार सरकार को न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दि जाने के बावजूद भी आज दिन तक सीपीसी के प्रावधानो के तहत 90 दिन की समयावधि गुजर जाने बावजूद भी जवाब पेश नही करने से स्टेट तहसीलदार सिरोही का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व संलग्न उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर उ पर मनन किया। प्रकरण के समग्र विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न प्रार्थी का आधार का नंबर 895797587741 कोरपोरेशन बैंक सिरोही की पासबुक एकाउण्ट नंबर 153900101003664 भामाशाह का की प्रतियों मे प्रार्थी का सही नाम धुडदा[illegible]जी साद जाति वैष्णव निवासी अणगोर अंकित है जबवि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2044–20[illegible] तथा [illegible]बंदी संवत 2071 से 2074 मे प्रार्थी का नाम राजस कर्मचारियों की गलती [illegible] नाम धुडारा[illegible] मशाराम अंकित हो गया है। प्रार्थी के नाम की त्रु लिपिकिय त्रुटि की प[illegible]किया जाना आ[illegible]है अन्यथा प्रार्थी सरका योजननाओं का लाभ [illegible] आर्थिक नुकसान व मानसि[illegible] मे आने की संभावना है

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का विरूद्व अप्रा स्टेट तहसीलदार सिरोही बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूमिधारी सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा अणगोर पटवा हल्का खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी खसरा नंबर 455 रकबा 0.4900 व वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी के दर्ज गलत नाम धूडाराम पुत्र मंशाराम की जगह प्रार्थी का सही नाम धुडदास पु श्री मंछाजी साद जाति वैष्णव निवासी अणगोर तहसील व जिला सिरोही वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज/संशोध कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट इस न्यायालय मे शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्ण सरे ईजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।